

आदेश पत्रक

आदेश पावडेन

देखें अभिलेख ह. 5, 1914 का नियम 129

-आदेश-
 गीपान निवारण नोटेस

आदेश पत्रक ता०

जिला साडेबरांग सं० सन्

केश का प्रकार मुद्रेशन समाधान नं० 01/2017-18

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाही के बारे में टिपनी तारीख सहित। 3
23.5.17	<p>अपीलाधी आदेश पावडेन, पित्त-स्वरा शिवलीचन पावडेन, साठ-नगर देगा साडेबरांग, आगर-साडेबरांग (नगर), जिला-साडेबरांग आपने विद्यमान अपील के माध्यम से विपक्षी गीपान निवारण, पित्त-सुपुसुन निवारण 2, 21 नवंबर पावडेन, पित्त-स्वरा शिवलीचन पावडेन एवं 3. आगर आगर, पित्त- पित्त-सुपुसुन नगर (1) नगर देगा, (2,3) नगर नगर देगा, नगर आगर-साडेबरांग (नगर), जिला- साडेबरांग के विरुद्ध इस समाधान में समाधान, साडेबरांग के आदेश नं० 01/2015-16 के विरुद्ध नोटिस दायर किया गया है। अपीलान्त के विरुद्ध अपीलान्त नुसार देगा। अपीलान्त के समाधान के पुनर्दे। नगर: समाधान के परिणाम अपीलान्त 1963 के आदेश नं० के अनुसार अपीलान्त स्वीकृत करने के बाद के अंतर्गत किया जाना है। विपक्षी को नोटिस दिए गए हैं तथा निम्न समाधान से अपीलान्त के संतुष्ट करें। अपीलान्त दि० 24.8.2017 को देगा। लैखापिन एवं संशोधित।</p>	<p>24.8.17 07.9.17 05.10.17 02.11.17 07.12.17 28.12.17 18.7.17 12.4.18 15/51 नं० 18.7.17 03.5.18 21.5.18 25.6.18 26.7.18 13.8.18 14.9.18 29.12.18 28.3.19 30.5.19 11.7.19 08.8.19 स्वरांग</p>
24.8.17	<p>अपीलाधी सुधार, उपसमाहृत मूले सुधार, साडेबरांग। अपीलान्त उपसमाहृत। अपीलान्त की ओर से समाधान देगा दी गई। विपक्षी अनुपस्थित। नोटिस का नोटिस अपीलान्त प्राप्त। पालन अपीलान्त अपीलान्त। अपीलान्त दि० 07.9.17 को देगा।</p>	
07.9.17	<p>अपीलाधी उपसमाहृत। अपीलान्त की ओर से समाधान देगा दी गई। विपक्षी अनुपस्थित।</p>	

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश / गई कारवायों के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
30-5-19	<p>अभिनीत उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। उभय पक्ष को अंतिम नोटिस निर्गत करें। अभिनीत दि० 11-7-19 को करें।</p>	<p>XI-07 30-5-19</p>
11-7-19	<p>अभिनीत उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। नोटिस का अभिनीत प्राप्त। उभय पक्ष नोटिस लेने के पश्चात् भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के कि इस वाद में उन्हें (अभिनीत को) किसी प्रकार की सहायता नहीं है। फिर भी अंतिम नोटिस निर्गत किया जाता है। अभिनीत दि० 08-8-19 को करें।</p>	
08-8-19	<p>अभिनीत उपस्थापित। उभय पक्ष लगातार दि० 26-7-18 से आज तक अंतिम नोटिस लेने के पश्चात् भी अनुपस्थित हैं। उन्हें मौजूदा भी निर्गत किया जा रहा है, फिर भी उपस्थित नहीं हुआ है। अतएव उनके अपील याचिका पत्र को अभिनीत के समक्ष में इस आधार पर का मुद्दे पर अपील वाद सं. 01/2017-18 को अस्वीकार करते हुए वाद को नार्देवाई समाप्त कर दिया जा रहा है।</p>	